

मतदान करने और उसके लिए नामांकन करवाने संबंधी मार्गदर्शक पुस्तिका

18 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होने के नाते फ़ेडरल चुनावों के लिए नामांकन करवाना और मतदान करना आपका अधिकार भी है और ज़िम्मेदारी भी। चुनावों के लिए नामांकन करवाना और मतदान करना अनिवार्य है। यदि आप मतदान नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है।

हम इसमें किस तरह सहायता करते हैं?

कॉमनवेल्थ के लिए मतदाता सूची के रख-रखाव और फ़ेडरल चुनाव, उप-चुनाव और जनमत संग्रह करवाने की ज़िम्मेदारी दि ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन (ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग - ए ई सी) की है।

ए ई सी राज्यों, टेरिटोरियों और स्थानीय सरकारों के चुनाव नहीं करवाता। ये चुनाव अन्य चुनाव प्राधिकरणों द्वारा करवाए जाते हैं।

चुनावों के लिए नामांकन

आप मतदान कर सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो। मतदाता सूची उन सभी योग्य नागरिकों की सूची है जिनका नाम फ़ेडरल चुनावों और जनमत संग्रहों के लिए पंजीकृत है।

क्या मैं अपना नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?

आपके लिए नामांकन करवाना कानूनन अनिवार्य है यदि:

- आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है
- आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं
- आप अपने वर्तमान पते पर एक माह से अधिक समय से रह रहे हैं।

यदि आपकी आयु 16 या 17 वर्ष की है तो आप अभी अपना नामांकन करवा सकते हैं ताकि जब आप 18 वर्ष के हों तो आप मतदान कर सकें।

मुझे अपना नामांकन कैसे करवाना होगा?

आप अपना नामांकन www.aec.gov.au/enrol पर करवा सकते हैं।

आप नामांकन के लिए आवेदन का फ़ॉर्म ए ई सी के किसी कार्यालय या ऑस्ट्रेलिया पोस्ट की दुकान से भी प्राप्त कर सकते हैं।

मुझे यह मालूम नहीं है कि मेरा नामांकन हो चुका है या नहीं

आप अपने नामांकित होने की जाँच www.aec.gov.au/check पर कर सकते हैं।

यदि मेरा पता/नाम बदल गया है तो मुझे क्या करना होगा?

जब भी आपके निवास-स्थान या नाम में परिवर्तन होता है, तो आपको नई जानकारी देकर अपने नामांकन को अप-टु-डेट करना होगा। आप अपनी जानकारी में परिवर्तन ऑनलाइन www.aec.gov.au पर कर सकते हैं। आप ए ई सी के किसी कार्यालय या ऑस्ट्रेलिया पोस्ट की दुकान से नामांकन के लिए आवेदन का फ़ॉर्म भी ले सकते हैं।

यदि मुझे विदेश जाना पड़े तो मुझे क्या करना होगा?

यदि आप विदेश में नौकरी के लिए या रहने के लिए जाते हैं तो आपको ए ई सी को बताना चाहिए। जब आप विदेश में हैं तो किसी फ़ेडरल चुनाव या जनमत संग्रह की घोषणा होने पर भी आपको ए ई सी को बताना चाहिए।

यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका नाम मतदाता सूची से काटा जा सकता है और हो सकता है कि आप भावी चुनावों में मतदान करने से वंचित रह जाएँ।


अधिक जानकारी www.aec.gov.au/overseas पर उपलब्ध है।

मतदान करना

फ़ेडरल चुनाव कम से कम तीन वर्ष में एक बार होते हैं और चुनाव का दिन हमेशा शनिवार होता है। आपको अपना मतदान कहाँ और कैसे करना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव के दिन आप कहाँ होंगे।

चुनाव के दिन

आप जहाँ रहते हैं, उस राज्य या टेरिटरी में आप किसी भी मतदान केंद्र में मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्र सुबह ठीक 8 बजे खुलते हैं और साँय ठीक 6 बजे बंद होते हैं।



मतपत्रों के नमूने

यदि आप किसी अन्य राज्य या टेरिटरी में हैं और आपने चुनाव के दिन से पहले उस चुनाव के लिए मतदान नहीं किया है तो आपको किसी इंटर स्टेट वोटिंग सेंटर (अंतर्राज्यीय मतदान केंद्र) में मतदान करना होगा।

मतदान केंद्रों और इंटर स्टेट वोटिंग सेंटरों की सूची चुनाव के दिन से कुछ सप्ताह पहले www.aec.gov.au पर उपलब्ध होगी। यदि आप चुनाव के दिन किसी मतदान केंद्र में नहीं जा पाएंगे तो आप चुनाव के दिन से पहले ही मतदान कर सकते हैं।

अन्य विकल्प

आप व्यक्तिगत रूप से या डाक के द्वारा पहले मतदान कर सकते हैं यदि चुनाव के दिन आप:

- अपने उस इलेक्टोरल डिवीजन (चुनाव क्षेत्र) से दूर होंगे, जहाँ आप मतदान के लिए पंजीकृत हैं
- किसी भी मतदान केंद्र से 8 किलोमीटर से अधिक दूर होंगे
- यात्रा कर रहे होंगे
- अपने काम के स्थान को छोड़ कर मतदान के लिए कहीं नहीं जा पाएंगे
- गंभीर रूप से बीमार हैं, चल-फिर नहीं सकते या बच्चे को जन्म देने वाले हैं (या किसी ऐसे व्यक्ति की देख-भाल कर रहे हैं)
- अस्पताल में रोगी के रूप में भर्ती हैं और अस्पताल में मतदान नहीं कर सकते
- अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सकेंगे
- जेल में तीन वर्ष से कम की सज़ा भुगत रहे हैं या किसी अन्य कारण से हिरासत में हैं
- साइलेंट एलेक्टर (गुप्त मतदाता) हैं
- अपनी सुरक्षा को लेकर वास्तविक डर है।

अर्ली वोटिंग सेंटर (चुनाव से पहले मतदान करने के केंद्र) चुनाव के दिन से कुछ सप्ताह पहले खुलेंगे और उनके पते और खुलने के समय www.aec.gov.au पर प्रकाशित किए जाएंगे।

डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन ऑनलाइन दिए जा सकते हैं या आप ए ई सी के किसी कार्यालय से पोस्टल वोट एप्लीकेशन फॉर्म (डाक द्वारा मतदान का आवेदन पत्र) ले सकते हैं। चुनाव उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के बाद ए ई सी आपका पोस्टल वोटिंग पैक (डाक द्वारा मतदान का पुलिंदा) आपको डाक द्वारा भेजेगा।

आपका मत गिनती में शामिल हो, यह सुनिश्चित करना

फ़ेडरल चुनावों में आप ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट (ऑस्ट्रेलियाई संसद) के दो सदनों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करते हैं: दि हाउस ऑफ़ रेप्रेजेंटेटिव्स (लोक सभा) और दि सीनेट (राज्य सभा)।

आपको दो मतपत्र दिए जाएंगे:

- आपके स्थानीय क्षेत्र (या इलेक्टोरल डिवीजन) से हाउस ऑफ़ रेप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक प्रतिनिधि चुनने के लिए एक हरा मतपत्र, और
- सीनेट के लिए आपके राज्य या टेरिटरी का एक प्रतिनिधि चुनने के लिए एक सफ़ेद मतपत्र।

मतदान करने के लिए हिदायतें मतपत्र पर छपी होंगी। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है या आपको यह मालूम नहीं है कि आपको क्या करना है तो किसी चुनाव अधिकारी से सहायता माँगें।

क्या आपको और जानकारी चाहिए?

चुनाव तंत्र और नामांकन तथा मतदान करने के बारे में अधिक जानकारी आप www.aec.gov.au से प्राप्त कर सकते हैं।

टेलीफ़ोन इंटरप्रेटर सर्विस (फ़ोन पर दुभाषिण की सेवा) उपलब्ध है। नामांकन, मतदान करने और चुनावों के बारे में हिंदी भाषा में जानकारी के लिए कृपया 1300 720 153 पर फ़ोन करें।

यदि आप बहरे हैं या आपको सुनने या बोलने संबंधी कोई दुर्बलता है तो आप हमसे नेशनल रिले सर्विस (एन आर एस) द्वारा संपर्क कर सकते हैं:

- टी टी वाई का इस्तेमाल करने वाले 13 36 77 पर फ़ोन करके 13 23 26 के लिए पूछ सकते हैं।
- स्पीक एंड लिसन का इस्तेमाल करने वाले 1300 555 727 पर फ़ोन करके 13 23 26 बोल सकते हैं।
- इंटरनेट रिले का इस्तेमाल करने वाले एन आर एस से कनेक्ट करके 13 23 26 के लिए पूछ सकते हैं।

aec.gov.au 13 23 26

